राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :– एफ4( )परावि/पीसी/पं.घ/सां.का./कृ.से.के./2012–13/1706 जयपुर दिनांक 19-12-2011

समस्त अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय :– **पंचायत समिति स्तरीय किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर्स का निर्माण, ग्राम पंचायत स्तरीय किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर एवं भू–अभिलेख सूचना केन्द्र का निर्माण एवं नवीन पंचायत भवनों के निर्माण के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 17.08.2012 एवं क्रमांक 1290 दिनांक 22.08.2012

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 85 एवं 92 के अन्तर्गत पंचायत समिति परिसर में किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर्स का निर्माण तथा ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर एवं भू–अभिलेख सूचना केन्द्र व पंचायत भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उक्त समस्त कार्यो के क्रियान्वयन के लिए माईल स्टोन तय है तथा मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर निरन्तर मॉनिटरिंग हो रही है। इसके लिए विभाग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इसी क्रम में तकनीकी अधिकारीयों को ठेके/मस्टरोल पर निर्माण कार्य करवाने हेतु पालनार्थ निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. बजट घोषणा (2012–13) के तहत निर्माण कार्यो में उपयोग ली जाने वाली निर्माण सामग्री तथा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्धारित मानचित्रों, डिजाईन व मापदण्डों के अनुसार ही जांच कर निर्माण कार्य सम्पादित करावें।
2. कार्य में प्रयुक्त सामग्री/कराये जा रहे निर्माण कार्य की गुणवता का नियन्त्रण व कार्य में प्रयुक्त सामग्री का सम्पूर्ण रिकार्ड नियमानुसार संधारित किया जावे।
3. भवन निर्माण के दौरान सीमेन्ट कंकरीट के कार्य में मिक्शर व वाईब्रेटर मशीन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जावे तथा मापदण्डों के अनुसार तराई कराई जावे।
4. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के बिन्दु संख्या 16.2.1 के अनुसार सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो का 100 प्रतिशत निरीक्षण व टेस्ट चैक सभी स्तर के तकनीकी अधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगतिरत होने के दौरान ही किया जाना है।

5. जिला परिषद व पंचायत समितियों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की गणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये सभी तकनीकी अधिकारी समय–समय पर निर्माण कार्य की विभिन्न स्टेज पर निम्नानुसार विस्तृत निरीक्षण करेगें :–

- भू–तल से नीचे किये जाने वाले प्रत्येक कार्य जैसे नींव की खुदाई, नींव में कंकरीट का कार्य, नींव में चुनाई का कार्य आदि।
- आर.सी.सी. के कार्य में स्टील की मात्रा की चैकिंग, कंकरीट डालने से पूर्व अवश्य की जावे इसके पश्चात् ही कंकरीट डाली जावे।
- भवन निर्माण कार्य में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री, फर्श में सब–बेस की चैकिंग, बिजली की फिटींग के केबल एवं पाईप।
- पेयजल के पाईप की चैकिंग भूमिगत करने से पूर्व।

उपरोक्त बिन्दु विशेष रूप से चैक किये जावेंगें, अगर कार्यो के निर्माण में कोई कमी पाई जावे, तो उसको अंकित कर उसका निराकरण कराया जावेगा। निरीक्षण टिप्पणी कार्यस्थल पर संधारित रजिस्टर में जरूर लिखी जावे व कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशों की पालना सभी स्तर के तकनीकी अधिकारियों से कराते हुए निर्धारित अवधि में सभी बजट घोषणा (2012–13) के तहत निर्माण कार्यो में एकरूपता व गुणवत्ता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

(अपर्णा अरोरा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त कृषि, पंत कृषि भवन, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद समस्त।
4. सहायक अभियंता (सी.डी) जिला परिषद समस्त को निर्देशित किया जाता है कि सम्बंधित पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता को पालनार्थ निर्देशित करें।
5. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त